



2026:AHC:56033

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3537/2026

सोफिया

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

शम्स उज़ ज़मान

विपक्षी के अधिवक्ता

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अधिवक्ता श्री सतीश मोहन तिवारी ने बताया कि वे शिकायतकर्ता के अधिवक्ता हैं और उन्होंने प्रति-शपथ पत्र भी दाखिल किया है, लेकिन उनका नाम मामले की सूची में नहीं दिखाया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शम्स उज़ ज़मान, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश मोहन तिवारी और राज्य की ओर से विद्वान ए0जी0ए0-1 डॉ0 एस0बी0 मौर्य की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह जमानत याचिका मामले की सुनवाई के दौरान बीएनएस की धारा 332(बी), 191(2), 191(3), 352, 351(3), 118(2), 115(2), 109(1), 61(2), 309(6) के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोप के अनुसार, आवेदक चार अन्य महिलाओं के साथ शिकायतकर्ता के घर में घुस गई थी और जब शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने मारपीट की और लूटपाट भी की, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

5. इसके बाद वह आगे कहता है कि आवेदक भी महिला है और उसे चार अन्य महिलाओं के साथ सामान्य आरोपों के आधार पर आरोपी बनाया गया है। आगे वह प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में चार व्यक्तियों को चोटें आईं, लेकिन तीन व्यक्तियों को लगी चोटें जानलेवा नहीं थीं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि एक घायल व्यक्ति, यानी शिकायतकर्ता की सास को गंभीर चोटें आईं, लेकिन अभियोजन पक्ष के अनुसार भी यह चोट सह-आरोपी निशा द्वारा पहुंचाई गई थी, न कि आवेदक द्वारा।

6. इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक महिला है और उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 07.01.2026 से यानी पिछले ढाई महीने से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि सभी आरोपी महिलाएं हैं, लेकिन वे बहुत चालाक हैं और शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में उन्होंने जबरदस्ती उसके घर पर कब्जा कर लिया और मारपीट व लूटपाट की। उनके द्वारा की गई मारपीट में चार लोग घायल हुए और शिकायतकर्ता की सास गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं और आरोप के अनुसार सह-आरोपी निशा ने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शिकायतकर्ता की सास को चोटें पहुंचाई। वे इस तथ्य का खंडन भी नहीं कर सके कि आवेदक महिला है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह पिछले ढाई महीने से जेल में है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया है।

9. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक ने चार अन्य महिलाओं के साथ मिलकर शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में उसके घर में जबरन प्रवेश किया और उसके बाद मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप चार लोग घायल हो गए और शिकायतकर्ता की सास को गंभीर चोटें आईं, लेकिन शिकायतकर्ता की सास के बयान से पता चलता है कि सह-आरोपी निशा ने उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई।

10. इसके अलावा, सामान्य आरोपों के आधार पर आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, जबकि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह एक महिला है और इस मामले में वह पिछले ढाई महीने से जेल में है।

11. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

12. इसलिए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

13. उपरोक्त मामले में आवेदक सोफिया को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

17 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"